न्यायालय सहायककलक्टर (एस.डी.ओ.) जायलजिला–नागौर

पीठासीनअधिकारी–श्रीरवीन्द्रकुमार (आर.ए.एस.)

प्रार्थीगण–

1. भागीरथराम पुत्र हरदीनराम जाट निवासी रामपुरा – ब
   जरिये आम मुख्तयार श्री रूपाराम पुत्र भागीरथराम जाट निवासरी रामपुरा–ब
   तहसील जायल जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर नागौर
2. कार्यक्रम अधिकारी महात्मा गांधी नरेगा योजना तहसील जायल
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदारजायल

प्रार्थनापत्र अधीन आदेश 09 नियम 09 सी.पी.सी.

1. अधिवक्ता श्री मुन्नीलाल कड़वासरा प्रार्थी की ओरसे।
2. अधिवक्ता श्री हरिश पारिक अप्रार्थीगण की ओरसे।

मुकदमानं. 145/2012 दिनांक : 27/06/2022

– : : आदेश : :–

प्रार्थनापत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् अधीन आदेश 09 नियम 09 सीपीसी को पेश कर निवेदन किया कि न्यायालय हाजा में वादीगण ने दिनांक 04.06.2012 को उक्त अनुवान का एक वाद पत्र संख्या 145/2012 पेश किया। जो जैर विचाराधीन था, वादीगण अपने वकील श्री रामनिवास विश्नोई से लगातार पेशी लेते रहे। विगत सालों में वादीगण के वकील साहब अध्यापक बन जाने से तारीख पेशी पर आवाज लगाने के समय हाजिर नहीं हो सके ना ही प्रार्थीगण को इसकी जानकारी रही थी जिससे उक्त प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हो गया। जिसको न्यायहित में रेस्टोर किया जाना विधि संगत है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मूल राजस्व वाद संख्या 145/12 निर्णय दिनांक 18.11.2013 को पुनः रिस्टोर किया जावे।

27/06/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी गण की ओर से वकील श्री हरिश पारिक ने जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया जो शामिल मिसल है।

वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 का जवाब मय विशेष उजरात पेश कर प्रार्थना के आंशिक तथ्य स्वीकार करते हुये तथा अन्य समस्त पैराज मे वर्णित तथ्य मनगढ़त, मिथ्या आधारहीन होने से अस्वीकार किया। वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि यह सही है कि वादी भागीरथराम द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अनवान का वाद एंव प्रार्थना पत्र दिनांक 18.11.2013 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज हुआ है। लेकिन शेष कथन मनगढ़त, मिथ्या आधारहीन है। उक्त प्रार्थना पत्र म्याद बाहर होने एंव विधि विरूद्ध एंव नियम विरूद्ध होने से काबिल निरस्त योग्य है। जब वादी भागीरथराम फौत हो गया तो उसके आम मुख्तयार के अधिकार स्वतः ही समाप्त हो गये है एंव आम मुख्तयार को वादी भागीरथराम की ओर से किसी प्रकार का आवेदन प्रस्तूत करने का अधिकार नहीं रहा है। बल्कि वस्तुस्थिति यह है कि रूपाराम ने वादी भागीरथराम की ओर से उसके फौत होने के बाद भी बदनियति से आदेश 9 नियम 9 सीपीसी का एक प्रार्थना पत्र दिनांक 05.06.2014 को प्रस्तुत किया । जिसका प्रतिवादीगण ने वादी फौत हो जाने से उक्त प्रार्थना पत्र उसके आम मुख्तयार को प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होने का जवाब प्रस्तुत करने पर जवाब के बाद में बदनियति से उक्त प्रार्थना पत्र आम मुख्तयार ने ही उसके विधिक वारिसान की तरफ से पेश किया है । आदेश 9 नियम 9 सीपीसी के पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ पढ़ा व समझा जाने का प्रावधान नही है तथा आज दिन तक भागीरथराम के वारिसान पत्रावली पर रेकर्ड पर नहीं आये है न ही विधिक वारिसान को ऐसा प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार है। विधिक वारिसान अलग से नया वाद प्रस्तूत कर सकते है जिससे उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सीपीसी काबिल खारीज योग्य है।

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधारहीन तथा विधिसम्मत नहीं होने से सव्यय खारिज किये जाने लायक है। अतः प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे। प्रार्थनापत्र वास्ते बहस नियत किया गया।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकुलाय ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्य एवं प्रार्थनापत्र के जवाब में वर्णित तथ्यों का पुनरोक्ति कथन किया। वकीलप्रार्थी ने प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद संख्या 145/2012 को पुनः नम्बर पर लिये जाने का निवेदन किया तथा अप्रार्थी के वकील ने प्रार्थनापत्र ठोस तथ्यो तथा विधिसम्मत नहीं होने व आधारहीन होने एवम् तत्समय जब वादी भागीरथराम फौत हो गया तो उसके आम मुख्तयार के अधिकार स्वतः ही समाप्त हो गये है एंव आम मुख्तयार को वादी भागीरथराम की ओर से किसी प्रकार का आवेदन प्रस्तूत करने का अधिकार नहीं रहा है न ही विधिक वारिसान को ऐसा प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार है।

विधिक वारिसान अलग से नया वाद प्रस्तुत कर सकते है जिससे उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सीपीसी विधि सम्मत नही होने से व अपोषणीय होने से काबिल खारीज प्रतीत होता है।

: : आदेश : –

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 09 सिविल प्रक्रिया संहिता विधि सम्मत नहीं होने एंव ठोस तथ्यों के अभाव में आधारहीन होने से खारिज किया जाता हैं। पत्रावली अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 23/06/2022 को सरे ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

23/06/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायककलक्टर, जायल
जिला–नागौर